

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,
सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकरनगर, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अमरोहा, औरैया,
बागपत, बलरामपुर, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, देवरिया, एटा, इटावा, हापुड, जालौन, झांसी,
ललितपुर, मैतपुरी, मुरादाबाद, रायबरेली, सम्भल, संतकबीरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लूप्रकोप-, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांडएवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रु0 13,50,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रम सं0	जनपद का नाम	राज्य द्वारा घोषित आपदाओं के विभिन्न उप मदों में राहत सहायता दिये जाने हेतु अग्रिम रूप से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1	वाराणसी	50.00

		50.00
2	मुजफ्फरनगर	50.00
3	अम्बेडकरनगर	50.00
4	कौशाम्बी	50.00
5	गौतमबुद्धनगर	50.00
6	आगरा	50.00
7	अमरोहा	50.00
8	औरैया	50.00
9	बागपत	50.00
10	बलरामपुर	50.00
11	बस्ती	50.00
12	बुलन्दशहर	50.00
13	चन्दौली	50.00
14	देवरिया	50.00
15	एटा	50.00
16	इटावा	50.00
17	हापुड	50.00
18	जालौन	50.00
19	झांसी	50.00
20	ललितपुर	50.00
21	मैनपुरी	50.00
22	मुरादाबाद	50.00
23	रायबरेली	50.00
24	सम्भल	50.00
25	संतकबीर नगर	50.00
26	सोनभद्र	50.00
27	उन्नाव	50.00
	योग	1350.00
(रूपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र)		

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी

मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी व्यय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 13,50,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

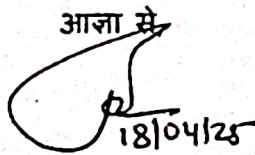
(भानु चन्द्र गोस्वामी)
सचिव।

संख्या- 418(1)/एक-10-2025, तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से


18/04/25
(भानु चन्द्र गोस्वामी)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-18/04/2025

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

418
001-418
51 राजस्व विभाग (द्वितीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 7000000	5000000 7000000
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
3	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
4	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
5	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
7	इटावा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
8	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
9	जातौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
10	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 7800000	5000000 7800000
11	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
12	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
13	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
14	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
15	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
16	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
17	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5800000	5000000 5800000
18	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5400000	5000000 5400000
19	वन्दोली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
20	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
21	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
22	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
23	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 6007260	5000000 6007260
24	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
25	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
26	हापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
27	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी 5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रणामी 135000000 142007260	135000000 142007260

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया तेरह करोड़ पचास लाख
रूपया चौदह करोड़ बीस लाख सात हजार दो सौ साठ



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी